

**छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर**

// अधिसूचना //

05 APR 2017

नया रायपुर, दिनांक 03 अप्रैल, 2017

क्रमांक एफ 4-8/सात-1/2017 छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम 2005 (क. 7 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

**उक्त नियमों में, -**

नियम 10-क में, उप-नियम (3) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“(एक) निधि का उपयोग, निम्नलिखित गतिविधियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा किया जायेगा, अर्थात् :-

- (क) राज्य में अधोसंरचना कार्य यथा बिजली, सड़क, पुल, पीने के पानी की आपूर्ति, सिंचाई, भण्डारगृह, सामुदायिक भवन इत्यादि के निर्माण एवं रख-रखाव के प्रयोजन हेतु ;
- (ख) मैदानी अधिकारियों के लिए आवास एवं कार्यालय भवन हेतु ;
- (ग) शैक्षणिक, कौशल विकास एवं रोजगार हेतु, जिसमें खेलकूद की गतिविधियों से संबंधित विकास कार्य सम्मिलित हैं ; और
- (घ) पर्यावरण के विकास संबंधी कार्य हेतु, कुल कोष का न्यूनतम 50 % होगा :

परन्तु, निधि का न्यूनतम 50 %, प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिये अनिवार्य रूप से व्यय किया जायेगा ।”

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,**

32  
(पी.निहालानी)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

314

**Government of Chhattisgarh**  
Revenue and Disaster Management Department  
mantralaya  
Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

**NOTIFICATION**

05 APR 2017

Naya Raipur, date 03 /04/2017

N0 F-4-8/Seven-1/2017 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh (Adhosanrachna Viskas avam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh (Adhosanrachna Viskas avam Paryavaran) Upkar Niyam, 2005, namely:-

**AMENDMENT**

In the said Rule,-

In rule 10-A, in sub-rule (3), for clause (i) ,the following shall be substituted, namely :-

- "(i) Fund shall be utilized by the State Government in connection with following activities, namely :-
- (A) For the purpose of construction and maintenance of infrastructure work in the State as electricity, road, bridge, supply of drinking water, irrigation, warehouse, community building etc;
  - (B) For accommodation and office building for field officers.
  - (C) For educational, skill development and employment including developmental work related to sports activities; and
  - (D) For work related to environmental development shall be minimum 50% of the total fund :

Provided that minimum 50% of the fund shall be spent compulsorily for the development of affected areas."

**By order and in the name of the**

Governor of Chhattisgarh

(P.Nihalani)

Joint Secretary

Government of Chhattisgarh

Revenue and Disaster management Department

314